

अपील

- ADM जयपुर

शैला राम कनाम राज. साकार

13/2020

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से   |
|----------|---------------------------|--|
|          | 20.3.24                   | <p>पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपाधित। रफो सं. 6, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता उपर। अधिवक्ता अपीलान्त गत कर तारिखों से अनुपाधित है। आज भी कारम्बार आवाज दिलार गई शकपूर्व अनुपाधित। अपीलान्त/अधिवक्ता लगातार अनुपाधित रहने से प्रतीत होगा है कि अपीलान्त प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करमा-चाहती अता अपीलान्त इसालतन कालतन अनुपाधित होने से अपील अपीलान्त अदम पैरवी अदम हाजरी में सिविल प्रक्रिया संहिता आदेशा 3 नियम 3 के अन्तर्गत खारिज की जाती है। पत्रावली के सलशुमार दोकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर शकिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]<br/>अतिरिक्त कलक्टर<br/>(तृतीय) जयपुर</p> |